दबंग City

इंदौर

गुरुवार, 8 जनवरी 2015

उद्योग अधिकारियों ने समझे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम

इंटरनेट वायरस के प्रति रहें सतर्क

दबंग रिपोर्टर ■ इंदौर

शासकीय कार्यालय होया अर्द्धशासकीय कार्यालय सभी जगह इंटरनेट के माध्यम से कार्यों को संपादित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में छोटी सी गलती से भी व्यक्तिगत अथवा संस्थागत नुकसान हो सकता है। इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय है जागरूकता। वर्तमान में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तो ही गलती करने से बच पाएंगे।

उक्त बात पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) के आईजी व संस्थान के डायरेक्टर वरुण कपूर ने ब्लैक रिबन इनीशिएटिव अभियान के तहत 77वीं कार्यशाला में कही। कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान इंदौर में किया गय,ा जिसमें 50 से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। कपूर ने अपराधियों द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरह अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है व किस तरह से आम नागरिकों, संस्थाओं, कार्यालयों आदि की जानकारी चोरी करके एवं इंटरनेट के माध्यम से वायरस भेजकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसकी जानकारी दी।

आईजी कपूर साइबर अपराध से बचने के गुर बताते।

साइबर के शिकार से अपना बचाव जरूरी

उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम जीने के लिए सुरक्षा मानकों को अपनाते हैं, उसी प्रकार इस आधुनिक संचार के क्षेत्र साइबर के शिकार होने से अपना बचाव करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पूछे गए सवालों का भी समाधान किया। इस अवसर पर डॉ. डीएस मंडलोई, निदेशक (सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान),अनिल वर्मा (एमएसएमई) एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समापन पर निदेशक मंडलोई द्वारा कपूर को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।